बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-239/2021-644(अनु०)/पटना, दिनांक- 9.3.2022

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महाराजगंज।

विषयः– **शीर्ष PMGSY के तहत कार्य प्रमंडल–महाराजगंज के अन्तर्गत L060 - L025 to Munsepur Pandey Tola (Track 30), पैकेज संख्या–BR-34R-336 पथ के मदों में हुई वृद्धि के अनुमोदन के संबंध में।**

प्रसंगः– मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना का पत्रांक–I/मु0अ0–3,त0स्वी0–10–114 /2021–7956 अनु0, दिनांक–17.11.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से उक्त कार्य का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन प्राक्कलन मदों में वृद्धि के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुआ है। पुनरीक्षित प्राक्कलन के तुलनात्मक विवरणी में वर्णित मद संख्या 16. (Tack Coat...) में 51.49 प्रतिशत एवं मद संख्या 19. (M.S.S...) में 51.49 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। सुलभ प्रसंग हेतु अनुमोदित मदों की मात्रा की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। पुराने मदों में वृद्धि को एकरारनामा के अंतर्गत शामिल करने हेतु विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

विभागीय पत्रांक–मु0अ0– 4(मु0)विविध(कार्य)–23– 116/2017–3446, दिनांक–18.09.2020 के आलोक में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति के आलोक में बढ़ी हुई अतिरिक्त राशि **रू0 12.88 लाख** का भुगतान मरम्मति शीर्ष 3054 से भारित होगा।

उल्लेख करना है कि पुनरीक्षित प्राक्कलन पर सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाये एवं व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।

उपरोक्त कृत कार्य हेतु क्षतिग्रस्त पथांश में स्थाई पुर्नस्थापन कार्य करने के पूर्व के क्षतिग्रस्त अवधि का पंचवर्षीय रूटीन अनुरक्षण की राशि भुगतान नहीं की जायेगी/कटौती कर ली जायेगी।

पुनरीक्षित प्राक्कलन के मद वृद्धि का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/- 9/3/22

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-239/2021-644 /पटना, दिनांक- 9.3.2022

प्रतिलिपि–मुख्य अभियंता–3, ग्रा0का0वि0/अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल,सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 9/3/22

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–BRRDA(HQ)-PMGSY-239/2021-644 /पटना, दिनांक- 9.3.2022

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, अनुरक्षण कोषांग, ग्रा0का0वि0, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/- 9/3/22

अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार।

Scanned with CamScanner

Name of Work -L060 - L025 to Munsepur Pandey Tola (Track 30), Package No.-BR-34R-336 (Length-2.920 KM)

District- Siwan		**Block-Lakri Nabiganj**					**Division-Maharajganj**
Details Revised Itmes and New Items for approval							
				As Per Final Bill (C)	As Per Revised Estimate		
Sl. No.	Item No. as per Comparative statement	Particulars of Item	Unit	Quantity	Quantity	Additional Quantity	Percent Increase
1	10	Construction of Embankment (Earthwork)…….	Cum	3117.910	3462.380	344.470	11.05
2	14	WBM Grade-3….	Cum	717.190	772.580	55.390	7.72
3	15	Prime Coat….	Sqm	9562.500	10301.060	738.560	7.72
4	16	Tack Coat….	Sqm	9562.500	14486.250	4923.750	**51.49**
5	19	MSS….	Sqm	9562.500	14486.250	4923.750	**51.49**

Ru

Scanned with CamScanner

मुख्य अभियंता –3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांकः– ll/मु0अ0–3,त0स्वी0–10–136/21 पटना दिनांकः–

प्रेषक,

मुख्य अभियंता–3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रमीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, **सिवान**

विषयः–शीर्ष **पी0एम0जी0एस0वाई0** योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, **महाराजगंज** के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 01 अदद पथ के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंगः–आपका पत्रांक– 314 अनु0 दिनांक–26.04.2022, वित्त विभाग के संकल्प संख्या–एम–4–53/2007/6439/वि0 पटना, दिनांक–28.08.2018 एवं अभियंता प्रमुख का पत्रांक–644 (अनु0) दिनांक–09.03.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, **महाराजगंज** के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न हैः–

Sl. No.	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	A.A Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (As per Agmt. Rate)	FDR Amount (in lakh) (As per Agmt. Rate)
1.	Maharaganj	L060-L025 To Munsepur Pandey Tola (Track-30) (BR-34R-336)	2.920	6595/15.12.16	158.96	177.56	12.88

2. निर्माण कार्य **पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना** की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाएगा।
3. स्वीकृत प्राक्कलन की जॉच अधीक्षण अभिंयता, अपने स्तर से कर लेगें यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
4. समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरुप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरुपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
5. अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यो के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलबध कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
7. पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
8. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, **सिवान** ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं है, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

Scanned with CamScanner

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आडी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सिवान को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जॉच कर संतुष्ट हो लेगें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेगें।

अनु0– स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/–
मुख्य अभियंता–3, पटना

ज्ञापांक:– 1953 पटना, दिनांक:– 27-4-22

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

मुख्य अभियंता–3, पटना

Scanned with CamScanner

AA vide letter no. 6595 dt 15/2/16

L = 2.92 KM

Const = 151.65

M/c = 7.31

total = 158.96

Present Agreement Rate = 1.57 % below

Revised	Const =	157.74 →	157.43
	FDR =	13.09 →	12.88
	M/c =	7.37 →	7.25
	total =	180.40	177.56 lakh

Revised

Technically Sanctioned of Road Length 2.92 ... 177.56 lakh

(One Crore seventy seven Lacs fifty six Thousand) only

Sanction of Estimate does not mean Sanction of rates

Conditions and directions laid down in attached technical ... with the DPR is to be followed Strictly.

27/4/22
AE
RWD

27/4/22
E.E.
RWD

27/4/22
C.E.
RWD

Scanned with CamScanner

ABSTRACT OF COST

Const + Maint ⇒ 181.70 + 13.09 = 194.79 Lac

⇒ (One crore ninety four lac, seventy nine thousand only)

C/S
15/5/21
SE

RWD Siwan

... Approval of Road Length............................is acco...

... ...ruction Work Rs....................................

... ...e Work Rs....................................

... Amount Rs....................................

Total Rs....................................

...Crore...............Lac...............

... RWD

E.E. RWD

C... RWD, ...

Scanned with CamScanner

तकनीकी प्रतिवेदन

योजना का नाम	–	1.060-1025से मुन्शीपुर पाण्डेय टोला
मद	–	PMGSY,Package No- BR-34R-336
प्रखंड	–	लकड़ीनबीगंज
कार्य प्रमंडल	–	महाराजगंज
प्राक्कलित राशि	–	12.88 लाख
पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि	–	177.740 लाख
कुल लम्बाई	–	2.920 कि0मी0
मरम्मति योग्य लम्बाई	–	1.300 कि0मी0

प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन जो मात्र 12.88 लाख का है। पूर्व में पथ के विभिन्न चैनेज पर आई बाढ के कारण पथ के क्षतिग्रस्त पथांश के पुर्नस्थापन के लिए तैयार किया गया है। आवागमन को बहाल करने हेतु तत्काल आवश्यक मरम्मति करा दिया गया था।

उक्त पथ शीर्ष PMGSY के तहत चतुर्थ वर्ष के अनुरक्षण अवधि में है। विभागीय पत्रांक 3446 दिनांक– 18.09.2020 के निर्देशानुसार पथ की विशिष्टि के अनुरूप स्थाई पुर्नस्थापन हेतु पथ के क्षतिग्रस्त भाग में पूर्व के प्राक्कलन में प्रावधानित मद में स्थल के अनुरूप GSB, WBM Gr-III एवं MSS आवश्यकता अनुसार एवं एक नया पुलिया का निर्माण क्षतिग्रस्त भाग में करने का प्रावधान कर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार किया गया है।

प्रस्तुत पुनरीक्षित प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन के उपरान्त मदों में हुई वृद्धि का अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात् पथ की तकनीकी स्वीकृति अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

16/05/22 — 16.5.22 — 16/05/22

कनीय अभियंता	सहायक अभियंता	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल,महाराजगंज

Scanned with CamScanner

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

शीर्ष :— PMGSY

पथ का नाम :— L060-L025 से गुरुसेपुर पाण्डेय टोला

लम्बाई :— 2.920 कि.मी.

BR-34R-336

दिनांक— को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,महाराजगंज अन्तर्गत PMGSY योजना अन्तर्गत L060-L025 से गुरुसेपुर पाण्डेय टोला का स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वर्ष 2020 में आए अप्रत्याशित बाढ के कारण पथ में Shoulder, MSS & WBM Gr-III कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। पथ के क्षतिग्रस्त होने के कारण आम जनता को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है। फलस्वरूप कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,महाराजगंज द्वारा क्षतिग्रस्त भाग का पुर्नस्थापन हेतु Permanent Restoration के तहत पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में Shoulder की मरम्मति के साथ Surface में WBM Gr-III करने के पश्चात MSS का प्रावधान किया गया है। पथ के क्षतिग्रस्त भाग से संबंधित विवरणी प्राक्कलन के साथ संलग्न है। तकनीकी प्रतिवेदन में भी वस्तुस्थिति अंकित है। फलस्वरूप कार्य हित में पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति अपेक्षित है।

(हस्ताक्षर) 15/6/21

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अंचल,सिवान।

R Kumar 14/06/21

Scanned with CamScanner